न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस **नम्बर 2023/238**

1. श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. श्री मंगल चन्द चौधरी
2. श्रीमती मंजू देवी पुत्री स्व. श्री मंगल चन्द चौधरी
3. विशाल चौधरी पुत्र स्व. श्री मंगल चन्द चौधरी
4. हेमराज चौधरी पुत्र स्व. श्री मंगल चन्द चौधरी समस्त जाति जाट, समस्त निवासीयान बीड की ढाणी, ग्राम शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र स्व. श्री लादू राम
2. जगदीश पुत्र स्व. श्री लादू राम
3. मेवा राम पुत्र स्व. श्री लादू राम
4. नन्दा राम पुत्र स्व. श्री लादू राम
5. श्रीमती गीता देवी पुत्र स्व. श्री लादू राम
6. हीरा पुत्र स्व. श्री गंगा राम समस्त जाति जाट, समस्त निवासीयान शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।
7. तहसीलदार, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।

—रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 19.05.2023, न्यायालय तहसीलदार, तहसील फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर, पीठासीन अधिकारी कृष्णा (RTS) द्वारा नामान्तकरण संख्या 856, दिनांक 25.05.2023, 858 दिनांक 05.06.2023, ग्राम शार्दुलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नारायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर एवं इसी प्रकार से नामान्तकरण संख्या 918, दिनांक 25.05.2023, 920 दिनांक 05.06.2023, ग्राम सामलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा, कन्देवली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर एवं नामान्तकरण संख्या 1237 दिनांक 10.06.2023, ग्राम कन्देवली, पटवार हल्का कन्देवली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर को खोलने का आदेश पारित कर दिया गया

उपस्थित—

1. श्री महेश कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्दनसिंह, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,4,5 की ओर से
3. श्री एन.आर. सैनी, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —28.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2023 द्वारा नामान्तकरण संख्या 856 दिनांक 25.05.2023, 858 दिनांक 05.06.2023 ग्राम शार्दुलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नारायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर एवं नामान्तकरण संख्या 918 दिनांक 25.05.2023, 920 दिनांक 05.06.2023 ग्राम सामलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा, कन्देवली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरायना, तहसील फुलेरा जिला जयपुर एवं नामान्तकरण संख्या 1237 दिनांक 10.06.2023 ग्राम कन्देवली, पटवार हल्का कन्देवली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर को खोलने का आदेश पारित कर दिया गया के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मोहनलाल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी शार्दुलपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर ने दिनांक 28.02.2023 को एक प्रार्थना पात्र इस आशय का पेश किया कि उनके पिताजी लादू पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी शार्दुलपुरा का स्वर्गवास दिनांक 15.05.2021 को हो चुका है एवं एक भाई मंगलचन्द का भी स्वर्गवास 05.01.1997 हो चुका है जो कि हमारे चाचाजी हीरा पुत्र गंगाराम के गोद गया हुआ था। अतः हमारे पिताजी के नाम ग्राम सामलपुरा, शार्दुपुरा, कन्देवली में स्थित कृषि भूमि में मंगलचन्द के वारिसान को छोडकर हम शेष वारिसान मोहनलाल, जगदीश, मेवाराम, नन्दाराम, गीता पि0 लादूराम के नाम नामान्तरकरण खोलने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक, जिला जयपुर ने निर्णय दिनांक 19.05.2023 से विवादित भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक, जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 19.05.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. श्री मंगलचन्द चौधरी व अन्य द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 26.08.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेंट्स की ओर से श्रीमान तहसीलदार, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर के समक्ष दिनांक 08.02.2023 को एक प्रार्थना पत्र विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रस्तुत कर कथन किया कि मृतक खातेदार लादू राम पुत्र गंगा राम व बरजी देवी पत्नी लादू राम, जाति जाट निवासी बीड की ढाणी, शार्दुलपुरा के निवासी है जिनकी कृषि भूमि सामलपुरा, शार्दुलपुरा, कन्देवली मे है। मृतक खातेदार बरजी देवी पत्नी लादूराम व लादूराम पुत्र गंगाराम के वारिसान में 1. बरजी देवी पत्नी लादू राम मृतक 2. मोहन लाल, 3. जगदीश, 4. मेवाराम, 5. नन्दाराम पुत्रान लादू राम, 6 गीता देवी पुत्री लादू राम तथा लादू राम का एक पुत्र मंगलचन्द सामाजिक रीति रिवाज से हीरा पुत्र गंगाराम के गोद चला गया, जिसकी मृत्यु दिनांक 05.01.1997 को हो चुकी है मृतक मंगलचन्द के वारिसान में सरोज देवी पत्नी हेमराज, विशाल पुत्रान स्व. मंगलचन्द व मंजू देवी पुत्री श्री मंगलचन्द है । मंगलचन्द, लादूराम का जायन्दा पुत्र था जिसकी दिनांक 05.01.1997 को मृत्यु हो चुकी है जोकि पांच पंचों की लिखावट दिनांक 03.06.1985 के द्वारा हीरा पुत्र गंगाराम के गोद दिया हुआ है। अंत में निवेदन किया गया कि खातेदार लादू राम पुत्र गंगाराम व बरजी देवी पत्नी लादूराम की कृषि भूमि ग्राम सामलपुरा, शार्दुलपुरा, कन्देवली का फोती नामान्तकरण मोहन लाल, जगदीश, मेवा राम, नन्दाराम, गीता देवी के नाम नामान्तकरण खोलने हेतु हल्का पटवारी शार्दुलपुरा कन्देवली को आदेश प्रदान करने की कृपा करें। तदोपरान्त श्रीमान तहसीलदार, फुलेरा, जयपुर द्वारा, प्रकरण संख्या 09/2023 दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पक्षकारान व खातेदारों को नोटिस जारी किये गये तथा हल्का पटवारी से मौका की रिपोर्ट मंगवाई जाकर गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये तदोपरान्त प्रकरण में श्रीमान तहसीलदारजी द्वारा मनमाना निर्णय दिनांक 19.05.2023 को पारित करते हुये मृतक खातेदार लादू पुत्र गंगाराम, जाति जाट निवासी शार्दुलपुरा के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि का नामान्तकरण जिसमें किसी प्रकार से कोई खसरा नंबरान का भी हवाला न देकर मात्र साईक्लोस्टाईल में एक तरफा निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित कर दिया। प्रार्थीगण वारिसान/रेस्पोडेंट्स मोहन लाल, जगदीश, मेवाराम, नन्दाराम, गीता देवी पि. लादू राम जाट निवासी शार्दुलपुरा के पक्ष में दर्ज करने हेतु निर्णय पारित कर दिया। तहसीलदार, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 19.05.2023 विधि विरूद्व एवं वाक्यात के खिलाफ होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट्स द्वारा तहसीलदार, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर के समक्ष जो प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.2023 को प्रस्तुत किया है, उसमें अपने स्व. पिता लादू राम जी की जायन्दा औलाद के दो अलग अलग सिजरा वर्णित किये हैं जिनमें एक में स्वयं के साथ अन्य का नाम तथा दूसरे में मात्र अपने दीगर भाई मंगलचन्द व उसके परिवार के सदस्यों का नाम अंकन किया है। तहसीलदार जी ने उक्त तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर कानूनी गलती है। इसलिए पारित निर्णय. निरस्त किए जाने योग्य है। महोदय साथ ही साथ मृतक मंगल चन्द के बारे में दिनांक 03.06.1985 की पंचों की लिखावट द्वारा मंगलचन्द को हीरा पुत्र गंगाराम के गोद जाना अंकित किया है, जबकि मंगलचन्द की मृत्यु के बाद मंगलचन्द के वारिसों का संपूर्ण पालन पोषण उनके दादा श्री लादू राम के द्वारा ही किया गया था तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मंगलचन्द के वारिस लादू राम की संपत्ति के अपने हिस्से के विधिक वारिस है। हास्यास्प्रद तो यह रहा है कि गोद/दत्तक की अपेक्षित शर्तो की पालना को ताक में रखते हुये तहसीलदार फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा दत्तक लेने व दत्तक देने वालों की अपेक्षित शर्त का भी नजरअंदाज करते हुये मात्र पंचों की लिखावट की फोटो प्रति के आधार पर दत्तक वैध होना पाया जाकर लादूराम के जायन्दा मृतक पुत्र की विधवा व दादा (लादूराम) की संपत्ति से उसके पौत्र पौत्री जो बाई बर्थ अपने दादा की संपत्ति में अधिकार रखते है, का भी महरूम कर, मनमर्जी से मृतक मंगलचन्द के वारिसों का उत्तराधिकार छीना है। इस तथ्य की ओर भी तहसीलदार जी ने ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। इसलिए पारित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार महोदय, फुलेरा द्वारा उक्त विरासत नामान्तकरण विधि के प्रतिकूल जाकर कैम्पकोर्ट में खोला गया है जबकि जहां दत्तक विवादास्पद हो वहां गवाहों का विस्तृत परीक्षण जिरह जवाब आदि कानूनी संपूर्ण प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिये, जिनकी कतई पालना नहीं की गयी और तो और जिस हीरा पुत्र गंगाराम के यहां मृतक मंगलचन्द को गोद/दत्तक जाना बताया गया है उस हीरा के बयान तक लेखबद्ध नहीं किये गये है जो आज भी यह ताईद करता है कि उसने कभी भी मंगलचन्द को विधिनुसार दत्तक नहीं लिया था। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 6 में विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाओं का वर्णन किया गया है जिसकी भी कतई पालना नहीं की गयी है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) में भी दत्तक संबंधित विवाद के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुये कहा गया है कि दत्तक संबंधी विवाद पर सुनने का अधिकार मात्र माननीय सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। उक्त तथ्य को भी माननीय तहसीलदार, फुलेरा, जिला जयपुर ने नजरअंदाज करते हुये नामान्तकरण का मनमर्जी से आदेश पारित किया है जो कतई विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार, तहसील फुलेरा मुख्यालय सांभर, जिला जयपुर ने अपने द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2023 में जो विरासत का नामान्तकरण खोलने के आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में कहीं पर भी आराजी भूमि के खसरा नंबर, रकबा, खाता संख्या व किस्म इत्यादि का कोई विवरण नहीं दिया गया है, परन्तु इसके बावजूद भी हल्का पटवारी कन्देवली, शार्दुलपुरा व सामलपुरा ने आराजी भूमि खसरां नंबर 78/1, रकबा 3.6291 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 0.9104 हैक्टेयर वाके ग्राम कन्देवली, पटवार हल्का. कन्देवली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर एवं आराजी भूमि खसरा नंबर 398 रकबा 1.4415 हैक्टेयर, खसरा नंबर 406 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, खसरा नंबर 411 रकबा 0.8725 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.8830 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 401 रकबा 2.5796 हैक्टेयर, 403 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नंबर 404 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नंबर 409 रकबा 1.6186 हैक्टेयर, खसरा नंबर 410 रकबा 1.2519 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकंबा 5.6019 हैक्टेयर, एवं खसरा नंबर 349/7 रकबा 1.1254 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 104 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नंबर 105 रकबा 0.6449 हैक्टेयर, खसरा नंबर 107 रकबा 0. 7081 हैक्टेयर, खसरा नंबर 79 रकबा 0.4679 हैक्टेयर, खसरा नंबर 80 रकबा 1.1001 हैक्टेयरं कुल किता 5 कुल रकबा 3.0475 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 162 रकबा 1.0495 हैक्टेयर, खसरा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नंबर 163 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, खसरा नंबर 164 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नंबर 165 रकबा 0.7208 हैक्टेयर, खसरा नंबर 189 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531/162 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.2887 हैक्टेयर, खसरा नंबर 405 रकबा 3.3889 हैक्टेयर वाके ग्राम सामलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर तथा खसरा नंबर 68/1 रकबा 0.9231 हैक्टेयर, खसरा नंबर 68/2 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नंबर 69 रकबा 1.3530 हैक्टेयर, खसरा नंबर 70 रकबा 0.7461 हैक्टेयर, खसरा नंबर 71 रकबा 1.3657 हैक्टेयर, खसरा नंबर 72 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खसरा नंबर 73 रकबा 0.8725 हैक्टेयर, खसरा नंबर 74 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नंबर 75 रकबा 1.1381 हैक्टेयर, खसरा नंबर 76 रकबा 0.6828 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 7.3595 हैक्टेयर, खसरा नंबर 84 रकबा 2. 6934 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नंबर 86 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, खसरा नंबर 92 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.5027 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383/8 रकबा 5.1212 हैक्टेयर, खसरा नंबर 460/8 रकबा 0.3414 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.4626 हैक्टेयर, खसरा नंबर 382/8/1/2 रकबा 0.0126 हैक्टेयर वाके ग्राम शार्दुलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति बाबत विवेचना करती है–

धारा 9 (1) " अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने की सामर्थ्य नहीं रखेगा। " श्रीमान तहसीलदार, फुलेरा द्वारा विधि का मखौल उड़ा कर मात्र पंचों की लिखावट के आधार पर दत्तक की ताईद कर दी जो कतई विधि के प्रतिकूल है। इसलिए पारित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य हैं।

यह कि हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 (पअ) " उसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की ।" जबकि प्रकरण में जिस दिन पंचों की लिखावट के आधार पर दत्तक होना बताया जा रहा है उस दिन अपत्य की उम्र 19 वर्ष की थी जिसकी ताईद अपत्य मंगलचन्द की कक्षा 10वी की अंक तालिका से प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट हो जाता है कि मंगलचन्द की जन्म तिथि 01.01.1966 है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 (पपप) " यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लियां जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बडा हो, इसी प्रकार क्लॉज 11 (पअ) यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरूष है तो दत्तक माता लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बडी हो, का भी पूर्ण उल्लंघन किया गया है तथा तहसीलदार महोदय ने विधि के सुसंगत विधान के विपरीत जाकर उपलब्ध कराये गये दस्तावेजात की वैधता की जांच किये बिना हीरा व मंगल की उम्र का अन्तराल को भी नजरअंदाज किया, जबकि दोनों में उम्र का अन्तराल 17 वर्ष का है, जो हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 (पपप) व 11 (पअ) के अनुरूप पोषणीय नहीं है । पत्रावली में उपलब्ध कराये गये कूटरचित दस्तावेजात की मूल प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी मंगल चन्द को हीरा लाल का दत्तक पुत्र मान लिया गया, जो कि कतई विधि सम्मत नहीं है । इसलिए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। सुयोग्य तहसीलदार, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ने उपरोक्त नामान्तकरण की कार्यवाही आनन–फानन में विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर नामान्तकरण तस्दीक कर, विधि की भारी व तथ्यात्मक भूल की है । इसलिए चुनौतीपूर्ण नामान्तकरण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाया जाकर माननीय तहसीलदार, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2023 एवं पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 05.06.2023 को निरस्त फरमाते हुये, तहसीलदार के आदेश की पालना में खोला गया नामान्तकरण संख्या 856, दिनांक 25.05.2023, नामान्तकरण संख्या 858 दिनांक 05.06.2023 ग्राम शार्दुलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्षेत्र नारायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर एवं इसी प्रकार से नामान्तकरण संख्या 918, दिनांक 25.05.2023, नामान्तकरण संख्या 920, दिनांक 05.06.2023, ग्राम सामलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा कन्देवली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर एवं नामान्तकरण संख्या 1237 दिनांक 10.06.2023, ग्राम कन्देवली, पटवार हल्का कन्देवली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट 1, 2, 4 व 5 ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 28/02/2023 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय फुलेरा मुकाम सांभर लेक के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के पिताजी लादू पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी शार्दुलपुरा का स्वर्गवास दिनांक 26/12/2015 को हो चुका है व माताजी बिरजी देवी पत्नि लादूराम का स्वर्गवास दिनांक 15/05/2021 को हो चुका है एंव एक भाई मंगलचन्द का स्वर्गवास दिनांक 05/01/1997 को हो चुका है। जो कि हमारे चाचा जी हीरा पुत्र गंगाराम के गोद गया हुआ था। अतः मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम मंगल चन्द को छोडकर शेष वारिसान के नाम नामान्तकरण खोलने की कृपा करे। उक्त प्रकरण गोदनामा से सम्बन्धित होने के कारण श्रीमान् तहसीलदार महोदय फुलेरा मुकाम सांभर लेक ने धारा 135 (2) एल0आर0एक्ट में प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान् व सह खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया गया। मंगलचन्द वर्ष 1985 मे ही प्रार्थी के चाचा हीरा पुत्र गंगाराम के गोद चला गया एंव उसके पहचान दस्तावेज मे भी पिता का नाम हीरालाल अंकित है एंव हमारे चाचा हीरालाल पुत्र गंगाराम के नाम के हिस्से का कृषि भूमि पर मंगल चन्द के है। हीरालाल की कृषि भूमि से वारिसान का कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सराकार नही है । उस पर प्रार्थीया सरोज कुमार जो मृतक मंगलचन्द के वारिसान है उन्ही का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे दिनांक 22/03/2023 को ग्राम पटवार हल्का द्वारा फद मौका रिपोर्ट तैयार की गई। अप्रार्थी सं0 6 हीरालाल पुत्र गंगाराम की ओर तेजपाल प्रजापत एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया लेकिन अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जो श्रीमान् तहसीलदार महोदय फुलेरा मुकाम सांभर लेक के समक्ष नामान्तकरण खोलने का प्रार्थना पत्र पेश किया उसमे कोई जवाब पेश नही किया और प्रार्थीया/अपीलार्थी सरोज देवी, विशाल, मंजू देवी कि ओर से श्री महेश शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किय गया किन्तु कोई जवाब पेश नही किया गया। अप्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे विधानसभा क्षेत्र दूदू वर्ष 1995 की मतदाता सूची भाग सं0 24 पेश की है जिसकी क्रम सं0 282 पर हीरा पुत्र गंगाराम नाम दर्ज है एंव क्रम सं० 24 पर मंगल पुत्र हीरा और क्रम सं0 285 पर प्रार्थीया सरोज देवी पत्नी मंगल का नाम दर्ज है। श्रीमान् तहसीलदार महोदय फुलेरा मुकाम सांभर लेक द्वारा प्रार्थी द्वारा उक्त पेश किये गये दस्तावेजात् एंव पांच रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 03/06/1985 की लिखावट पत्र की छाया प्रति व सह खातेदार एंव पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट आदि पेश किये गये थे जिसमे प्रार्थीया का मृतक पति मंगलचन्द, दत्तक पिता हीरालाल के गोद चला गया इसलिए अप्रार्थी के पिता की सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। दिनांक 19/05/2023 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय फुलेरा मुकाम सांभर लेक द्वारा जो निर्णय पारित किया गया वह कर निर्णय पारित किया गया जो समस्त पक्षकारान् को सुनवाई विधि के अनुसार सही है तथा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की है। प्रार्थीया सरोज देवी वगै0 ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय फुलेरा मुकाम सांभर लेक के समक्ष जो तथ्य अंकित किये गये है वह मनगढन्त किये गये है जबकि प्रार्थीया व उसके वारिसान कि ओर से अधिनस्थ न्यायालय मे पेश होकर कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्रार्थीया द्वारा जो अपनी अपील के तहत अपील के पेज सं0 8 के पैरा सं0 9 मे जो हिन्दू दत्तक भरण पोषण के प्रावधानो का हवाला दिया गया है उन प्रावधानो के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि कोई रूढी या प्रथा हो तो रूढी व प्रथा को छोडकर धारा 9 से 11 तक के प्रावधान लागू होगे । दिनांक 03/06/85 को प्रार्थीया के पति मृतक

आयुक्त

मंगलचन्द को रूढी या प्रथा के अनुसार ग्रामवारियो के समक्ष अप्रार्थी सं0 6 हीरा पुत्र गंगाराम ने गोद लेना स्वीकार किया है तथा पांच रूपये के स्टाम्प पर लिखापढी की गई है जिसमे ग्रामवासियो के हस्ताक्षर है तथा प्रार्थीया के मृतक पति मंगलचन्द के भी हस्ताक्षर है और मतदाता सूची व अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थीया के पति मंगलचन्द के पिता का नाम हीरालाल दर्ज है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय मे हीरा पुत्र गंगाराम जिसने प्रार्थीया के पति को गोद लिया उसके द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय फुलेरा मुकाम सांभर लेक के समक्ष धारा 135 (2) एल0आर0एक्ट के नोटिस की तामील होने के पश्चात् भी कोई जवाब पेश नही किया। तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक, जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 19.05.2023 को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद वस्तुतः वाद में आराजी विवादित ग्राम सामलपुरा, शार्दुलपुरा, कन्देवली में स्थित कृषि के सम्बन्ध में है। जिसकी खातेदारी लादूराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी शार्दुलपुरा के नाम से थी। लादूराम पुत्र गंगाराम का स्वर्गवास दिनांक 26.12.2015 को हो चुका है व माताजी बरजी देवी पत्नि लादूराम का स्वर्गवास दिनांक 15.05.2021 को हो चुका है एवं 1 भाई का मंगलचन्द का भी स्वर्गवास दिनांक 05.01.1997 को हो चुका है। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 अपना भाई तो मानते है लेकिन उसे उनके चाचाजी हीरा पुत्र गंगाराम के गोद जाना बताते हैं। तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2023 एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 05.06.2023 से स्वीकार कर मृतक खातेदार लादूराम पुत्र गंगाराम एवं मृतक खातेदार बरजी देवी पत्नि लादूराम, जाति जाट निवीस शार्दुलपुरा के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण वारिसान मोहनलाल, जगदीश, मेवाराम, नन्दाराम, गीता देवी पिता लादूराम जाति जाट निवासी शार्दुलपुरा के पक्ष में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स श्रीमती सरोज देवी पुत्री स्व. श्री मंगल चन्द चौधरी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में की गई है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित कृषि भूमि लादू पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी शार्दुलपुरा के नाम से दर्ज रही है। जिससे साबित है कि आराजी भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि रही है। तहसीलदार फलेरा मु. सांभरलेक को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत मृतक की खातेदारी की भूमि में उसके फौत होने के बाद उसकी समस्त सन्तानों का बराबर हक बनता है। हमारा विनम्र मत है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा मृतक मंगल चन्द के बारे में दिनांक 03.06.1985 की पंचों की लिखावट द्वारा मंगलचन्द को हीरा पुत्र गंगाराम के गोद जाना अंकित किया है, जबकि पंचों की लिखावट दिनांक 03.06.1985 अनरजिस्टर्ड है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मंगलचन्द के वारिस लादू राम की संपत्ति के अपने हिस्से के विधिक वारिस है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9 दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति बाबत विवेचना करती है– धारा 9 (1) " अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने की सामर्थ्य नहीं रखेगा। " अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, फुलेरा द्वारा मात्र पंचों की लिखावट के आधार पर दत्तक की ताईद कर दी जो कतई विधि के प्रतिकूल है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 (iv) " उसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की ।" जबकि प्रकरण में जिस दिन पंचों की लिखावट के आधार पर दत्तक होना बताया जा रहा है उस दिन अपत्य की उम्र 19 वर्ष की थी जिसकी ताईद अपत्य मंगलचन्द की कक्षा 10वी की अंक तालिका से प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट हो जाता है कि मंगलचन्द की जन्म तिथि 01.01.1966 है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 (iii) " यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लियां जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बडा हो, इसी प्रकार क्लॉज 11 (iv) यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरूष है तो दत्तक माता लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बडी हो, का भी पूर्ण उल्लंघन किया गया है तथा तहसीलदार ने विधि के सुसंगत विधान के विपरीत जाकर उपलब्ध कराये गये दस्तावेजात की वैधता की जांच किये बिना हीरा व मंगल की उम्र का अन्तराल को भी नजरअंदाज किया, जबकि दोनों में उम्र का अन्तराल 17 वर्ष का है, जो हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 (iii) व 11 (iv) के अनुरूप पोषणीय नहीं है । पत्रावली में उपलब्ध कराये गये कूटरचित दस्तावेजात की मूल प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी मंगल चन्द को हीरा लाल का दत्तक पुत्र मान लिया गया। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) में भी दत्तक संबंधित विवाद के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुये कहा गया है कि दत्तक संबंधी विवाद पर सुनने का अधिकार मात्र माननीय सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु.सांभरलेक ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2023 एवं दिनांक 05.06.2023 पारित करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील फुलेरा मु.सांभरलेक का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2023 एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 05.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक के आदेश की पालना में खोला गया नामान्तकरण संख्या 856, दिनांक 25.05.2023, नामान्तकरण संख्या 858 दिनांक 05.06.2023 ग्राम शार्दुलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नारायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर एवं इसी प्रकार से नामान्तकरण संख्या 918, दिनांक 25.05.2023, नामान्तकरण संख्या 920, दिनांक 05.06.2023, ग्राम सामलपुरा, पटवार हल्का शार्दुलपुरा कन्देवली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर एवं नामान्तकरण संख्या 1237 दिनांक 10.06.2023, ग्राम कन्देवली, पटवार हल्का कन्देवली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक को निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार लादू पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी शार्दुलपुरा के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि का नामांतरकरण प्रार्थीगण वारिसान मोहनलाल, जगदीश, मेवाराम, नन्दाराम, गीता देवी, मंगलचन्द पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी शार्दुलपुरा के पक्ष में दर्ज किया जावे।

(डॉ.आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।